प्र.सं. ................../ दावा / प्र.पत्र / ......................

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| 12/3/26 वकुलाए उपस्थित । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये संक्षेप में निवेदन किया कि आराजी खाता सं0 नया 381 पुराना 348 वाके ग्राम लाडपुर पटवार मण्डल लाडपुर तह0 तालेडा अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी अधिकार में दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी मूल पुरूष दल्ला कौम चमार के रूप में अंकित थी। दल्ला जी की मृत्यु हो चुकी है। दल्ला के दो पुत्र गंगाबिसन व किसना , जिसमें गंगाबिसन की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसकी वारिस छितर उर्फ रामा जो अप्रार्थी सं0 1 है । दल्ला जी के दुसरे पुत्र किसना जी थे। किसना की मृत्यु के पश्चात किसना के तीन पुत्र अप्रार्थी सं0 1 लगायत 2 है तथा बद्रीलाल की मृत्यु हो जाने से उसे पक्षकार नही बनाया गया। उक्त आराजी अविवक्त हिन्दु परिवार के सयुंक्त स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर मौका बंटवारा परिवार के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। मौका बंटवारा पारिवारिक अनुसार कुल रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा पर प्रार्थीगण के हिस्से में 1/2 कृषि भूमि अर्थात 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि मौका बंटवारे से हिस्से एवं कब्जे में आने से प्रार्थीगण विगत 50-60 वर्षो से निर्बाध रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को उक्त आराजीयात में से हिस्सा बंटवारा एवं अधिकार घोषणा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन करवाने को कहा तो अप्रार्थी सं0 1 के मन में बदनीयती आ गयी एवं प्रार्थीगण के हिस्से की 1/2 भूमि को हस्तानन्तरण करने से इनकार कर दिया एवं उक्त कृषि भूमि को रहन बय एवं अन्य को हस्तान्तरण करने व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। यदि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा वाद विषयक कृषि भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया अथवा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द रहन बेचान एवं हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थीगण को ताफेसलावाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वे वाद वर्णित आराजी की रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। बहस के समर्थन में वकील वादी ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2009 पेज नं0 17 एवं आर.आर.टी. 2021(1) पेज नं0 295 पेश किये।<br><br>वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को संक्षिप्त में दोहराते हुये निवेदन किया की वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जो कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता गंगाबिसन को आवंटित हुयी थी। गंगाबिसन की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी अधिकार में दर्ज हुयी जिस पर अप्रार्थी सं0 1 काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी कभी भी दल्ला कौम चमार के खातेदारी में दर्ज नही रही है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में किसना के मृत पुत्र बद्रीलाल के वारिसान उसकी पुत्री मैना व पत्नि जो जीवित है को पक्षकार नही बनाया। विवादित आराजी का कभी भी पारिवारिक बंटवारा नही हुआ है। झुठे तथ्यो का वर्णन किया गया है। प्रार्थना पत्र वर्णित सम्पूर्ण आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता को आवंटित हुयी थी। जिनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के खाते में दर्ज रिकार्ड है एवं अप्रार्थी सख्यां 1 ही सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि उक्त विवादित आराजी का रिकाडेड खातेदार है के विरूद्ध प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का कोई हक अधिकार नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2017(1) आर.आर.टी. 259 पेश किया। | |

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

बहस उभयपक्ष पर मनन करने, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण का यह कथन की वाद वर्णित आराजी दल्ला जी के खातेदारी अधिकार की भूमि थी जिसका पारिवारिक बंटवारा होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 को 1/2 - 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ जिस पर वह काबिज काश्त है। उक्त तथ्य को प्रमाणित करने हेतु वकील प्रार्थीगण ने सीगा जमाबन्दी खाता संख्या 7 गंगाबिसन वल्द दल्ला कौम चमार सम्वत् 2001 - 2005 को आधार बताया है। जबकि उक्त जमाबंन्दी का अवलोकन करने पर उक्त खाता अनुसार गंगाबिसन वल्द दल्ला कौम चमार खातेदार होना प्रमाणित है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी का खातेदार दल्ला कौम चमार प्रमाणित नही होने से प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 जो कि विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार है के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।